कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पथ प्रमंडल, भागलपुर

पत्रांकः–

दिनांकः–

प्रेषकः– कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमंडल, भागलपुर।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
भागलपुर।

विषयः– अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– भवदीय ज्ञापांक–2260/सा0 भागलपुर दिनांक–30.05.2022 एवं मुख्य अभियंता सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–855 दिनांक–20.07.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में PTRO/AKS/LOI/096 दिनांक–04.02.2020 द्वारा नया रिटेल आउटलेट खोलने हेतु चेकलिस्ट, नक्शा एवं अन्य कागजात प्राप्त हुआ था, जो मुख्य अभियंता सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना का पत्रांक– 855 दिनांक–20.07.2022 द्वारा सारी प्रक्रिया पुरी कर ली गई है। साथ ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा (05) साल के लिए एकरारनामा (छायाप्रति संलग्न) कर लिया गया है।

अतः भवदीय से अनुरोध है कि अपने स्तर से अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करना चाहेंगें।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमण्डल, भागलपुर।

ज्ञापांक– 1470 (अनु0) दिनांक– 27.07.2022

प्रतिलिपिः– श्री मैंटु कुमार, पिता– श्री भेदी यादव, ग्राम–बसंतपुर, पोस्ट+थाना–अकबरनगर, जिला–भागलपुर, बिहार, पिन नं0–813223 को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

27/07/2022

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमण्डल, भागलपुर।

27/7/22

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

AL 868068

EE-Rly Executive Engineer RCD Road Division Bhagalpur

29-5-22 4000- मुरली प्रसाद यादव

मुरली प्रसाद यादव
मुद्रांक विक्रेता
लाo नo–19/87-88
कोर्ट कम्पाउण्ड भागलपुर

27 MAY 2022

कोषागार पदाधिकारी
भागलपुर

अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु एकरारनामा

मुख्य अभियंता सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–855 दिनांक–20.07.2022 के आलोक में अकबरनगर–अमरपुर पथ (SH-85) पर प्रस्तावित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0, पटना का नया रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु श्री मैंटु कुमार, पिता– श्री भेदी यादव, ग्राम–बसंतपुर, पोस्ट+थाना–अकबरनगर, जिला–भागलपुर, बिहार, पिन नं0–813223 को निम्नलिखित शर्त्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है:–

1. यह कि भविष्य में आपके द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गई सूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने की स्थिति में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

मैंन्टु कुमार

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, भागलपुर

2. पेट्रोल पम्प की स्थापना अनुमोदित नक्शा के अनुरूप करना होगा।

3. पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–4770 (ई) दिनांक–24.08.2017 के कंडिका–6 एवं विभागीय संकल्प संख्या–1921 (S) दिनांक–08.03.2018 के अनुपालन के आलोक में कैलेंडर वर्ष 2023 में राशि 15,815.00, कैलेंडर वर्ष 2024 में राशि 16,606.00, कैलेंडर वर्ष 2025 में राशि 17,436.00, कैलेंडर वर्ष 2026 में राशि 18,308.00 एवं कैलेंडर वर्ष 2027 में राशि 19,224.00 रू0 मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, भागलपुर के नाम से भारतीय स्टेट बैंक के भागलपुर शाखा में भुगतेय हो, जमा करना अनिवार्य होगा।

4. पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व अर्थात् दिसम्बर 2027 से चार माह पूर्व प्रमंडल कार्यालय में नवीकरण के अवेदन के साथ राशि 10000.00 मात्र का बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, भागलपुर के नाम से बनवाकर नवीकरण करा लेना अनिवार्य होगा। ससमय लाईसेंस नवीकरण नहीं कराने पर प्रतिमाह दण्ड स्वरूप राशि 5000.00 रू0 वसूली किया जाएगा।

(हस्ताक्षर) — 24/01/2022

आउटलेट रिटेलर
का हस्ताक्षर

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, भागलपुर